न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–वीरेन्द्र सिंह चौधरी आर.ए.एस.

अपील संख्या 102/21 निर्णय दिनांकः 08-01-2024
(जीसीएमएस संख्या 2021/185)

1. रामेश्वरी देवी पत्नी राजाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 1 केवाईडी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर।
2. सोमादेवी
3. गजानन्द
4. कृष्णा
5. बुद्धराम
6. देवीलाल

पुत्र/पुत्रियॉ राजाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 1 केवाईडी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 05–10–1982
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री नरेन्द्र गौड़, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 05–10–1982 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर परखारिज किया गया है,

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में बतौर भूमिहीन आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूतों के साथ प्रस्तुत किये गये थे। परन्तु अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का पेश शहरी कार्य बताते हुए अपीलांट् का भूमिहीन आवंटन का प्रार्थना पत्र जोहड़ पायतान की भूमि पाने का हकदार नहीं मानते हुए प्रार्थना पत्र अदम हाजरी व सबूत में खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट् द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से भूमिहीन आवंटन की मांग की गई थी, नाकि जोहड़ पायतान की भूमि आवंटन की मांग की गई थी तथा साथ ही अपने आवंटन के समर्थन में तमाम सबूत प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत प्रार्थना पत्र की अनदेखी करते हुए अपीलांट् के प्रार्थना पत्र की अनदेखी करते हुए मात्र अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने के उद्वेश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट द्वारा जोहड़ पायतान की भूमि पाने का अधिकारी नहीं मानते हुए अपीलांट् का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी व अदम सबूत में खारिज कर दिया गया है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने मियाद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियाद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 05–10–1982 के विरूद्ध अपील दिनांक 14–06–21 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी व अदम सबूत में खारिज किया जा चुका है। अपीलांट्स के पति/पिता द्वारा तत्समय अपने आवेदन प्रार्थना पत्र के साथ वांछित सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने व कालान्तर में स्वयं उपस्थित आते हुए सबूत पेश नहीं करने के आधार पर ही अपीलांट्स के पति/पिता का भूमिहीन आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 05–10–1982 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 14–06–2021 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियाद घोषित की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का भूमिहीन आवंटन का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी व अदम सबूत में खारिज किया गया है।

प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि अपीलांट्स के पति/पिता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आदेशिका दिनांक 15–07–1982 में अभिलिखित किया गया कि प्रार्थी काड़वाली रायसिंहनगर का है, जोहड़ पायतन पाने का हकदार नहीं है। प्रार्थी ने जोहड़ पायतान में दरख्वास्त लगाई है। जबकि अपीलांट्स के पति/पिता द्वारा बतौर भूमिहीन श्रेणी में आवंटन की मांग प्रार्थना पत्र के माध्यम से की गई थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की उक्त व्याख्या अपीलांट्स के पति/पिता के प्रार्थना पत्र के विरूद्व की गई कार्यवाही जाहिर होता है। अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के उद्वेश्य मात्र से बिना तथ्यों की जॉच व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के उद्वेश्य मात्र से एक साईक्लोस्टाईल आदेश के माध्यम से अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

प्रस्तुत मामलें में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता का प्रार्थना पत्र जोहड़ पायतान की भूमि की दरख्वास्त होने व अदम हाजरी व सबूत के आधार पर खारिज किया गया है जबकि अपीलांट्स के पति/पिता द्वारा अपने भूमिहीन प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबूत आदि प्रस्तुत किये गये थे। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे अपीलांट्स के पति/पिता को वांछित सबूत प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान करते। विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किये गये आदेश की श्रेणी में आता है। प्रस्तुत प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जो पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

6. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 05–10–1982 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए अपीलांट के पात्रता की जांच करें, पात्रता सही पाये जाने पर पुनः विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करें।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

7. निर्णय आज दिनांक 8/1/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर